विषय: विद्युत मंत्रालय में युवा प्रोफेशनल की नियुक्ति:

भारत में पहुंच, सामर्थ्य और शहरीकरण में तेजी से वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। भारत का विकास पथ तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता पर केंद्रित है, जो गरीबी महत्वपूर्ण और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक आवश्यक शर्त है, जबकि साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसके जरिए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सहयोग मिल सकता है।

ऊर्जा पारगमन का तात्पर्य जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से पवन, सौर और जल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव और वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ऊर्जा से संबंधित CO_2 उत्सर्जन को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।

ऊर्जा पारगमन दुनिया भर में हो रहा है और भारत भी जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा पारगमन के लिए प्रतिबद्ध है। पेरिस जलवायु समझौते में देश द्वारा दुनिया से की गई वचनबद्धता के बाद से भारत का हरित ऊर्जा की ओर पारगमन बहुत प्रभावशाली रहा है।

भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी वृद्धि की गति वैश्विक विकास का एक अभिन्न अंग है और दुनिया के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भारत के विकास एजेंडे में जलवायु परिवर्तन सहित कई चुनौतियाँ हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान न्यूनतम है। फिर भी, भारत वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की ओर अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और पहुंच को महत्वपूर्ण अविभाज्य प्राथमिकताओं के रूप में ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए, ईसी, ईटी और ईवी डिवीजन, विद्युत मंत्रालय को आवश्यक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के साथ खुद को सुदृढ करने की आवश्यकता है। इसलिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा पारगमन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक (01) युवा प्रोफेशनल को नियुक्त करने का विचार रखता है।

2. नियुक्ति का प्रकार और अवधि:

क) नियुक्ति युवा प्रोफेशनल स्तर पर होगी जिन्हें स्वतंत्र परामर्शदाता (स्व.प.) के रूप में जाना जाएगा।

ख) यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा के आधार पर होगी और इस नियुक्ति से बाद में विद्युत मंत्रालय में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा करने का अधिकार/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ग) इन नियुक्त कार्मिकों को विद्युत मंत्रालय के संबंध में एक स्वतंत्र परामर्शदाता की कानूनी स्थिति प्राप्त होगी और उन्हें किसी भी उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय का 'कर्मचारी सदस्य' या 'अधिकारी' नहीं माना जाएगा। तदनुसार, संविदा के भीतर या उससे संबंधित कुछ भी विद्युत मंत्रालय और व्यक्तिगत परामर्शदाताओं के बीच नियोक्ता तथा कर्मचारी, या प्रिंसिपल तथा एजेंट के संबंध को स्थापित नहीं करेगा।

घ) नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के बाद किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई और विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।

3. नियुक्त किए जाने वाले प्रोफेशनलों की संख्या और विस्तृत पात्रता मानदंड:

युवा प्रोफेशनल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताओं और अनुभव वाले आवेदकों पर विचार किया जाएगा:

नियुक्ति के लिए प्रस्तावित युवा उम्मीदवारों की संख्या	01* (एक)
आयु	32 वर्ष से अधिक नहीं (01-07-2024 तक)
आवश्यक योग्यता (अनिवार्य)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
कार्य अनुभव (अनिवार्य)	ऊर्जा दक्षता या इसके संरक्षण, और ऊर्जा लेखा परीक्षा और अन्य संबंधित क्षेत्रों से निपटने वाले अनुसंधान/विकास/डिजाइन/शैक्षणिक संस्थानों/सरकारी विभागों/संस्थानों/संगठनों में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो (सरकारी संगठन/विभाग में प्राप्त अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी)।
मासिक पारिश्रमिक	70,000 रुपये ** (सभी लागू करों सहित होगा और कोई अन्य सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, विस्तार की स्थिति में युवा उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर 5% की वृद्धि की जाएगी)

*** आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित युवा प्रोफेशनलों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।**

**** समेकित पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और कोई अन्य सुविधा या भत्ता नहीं दिया जाएगा।**

4. अन्य प्रोत्साहन:

4.1 टीए/डीए: स्वतंत्र परामर्शदाताओं को भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। दौरे के दौरान, युवा प्रोफेशनल को टीए/डीए उतना ही स्वीकार्य होगा जितना कि केंद्र सरकार के सहायक अनुभाग अधिकारी (स्तर 7) को देय है।

4.2 पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि

पारिश्रमिक में वृद्धि इसके लिए गठित समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार, वर्ष के दौरान उसके कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर की गई सिफारिश पर होगी।

क) कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल पीएआर ग्रेडिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा लिखित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं/पत्रिका/समाचार-पत्रों या पुस्तकों में प्रकाशित लेखों को पारिश्रमिक आदि में वृद्धि के मामलों का मूल्यांकन/निर्णय करते समय अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा।

ख) उम्मीदवारों की कार्य प्रदर्शन व्यवस्था संबंधित भूमिका और उसकी उपलब्धियों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित केपीआई पर आधारित होगा।

ग) पारिश्रमिक में कुल वृद्धि किसी भी मामले में वार्षिक 5% से अधिक नहीं होगी।

घ) प्रदर्शन के आधार पर पारिश्रमिक वृद्धि निम्नानुसार होगी:

प्रदर्शन	पारिश्रमिक में वृद्धि
केवल नियमित/सौंपे गए कार्य किए	शून्य
व्यक्तिगत परामर्शदाता/युवा प्रोफेशनल जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपेक्षित आउटपुट प्रदान करने में असाधारण गुणवत्ता दिखाई है।	पारिश्रमिक का 5%

5. प्रशिक्षण:

क) इन कार्मिकों के लिए शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रत्येक नियोजित कार्मिक को प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।

ख) 3 दिनों का एक इंडक्शन मॉड्यूल होगा, जिसमें प्रत्येक नियोजित कार्मिक को शामिल होना होगा।

ग) इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा पारगमन पर मॉड्यूल जैसे भूमिका-विशिष्ट मॉड्यूल होंगे, जिन्हें कार्मिक अपने पद पर आने के बाद बीच-बीच में पूरा करेंगे।

6. संदर्भ की शर्तें:

संदर्भ की शर्तों में डिलिवर किए जाने वाले आउटपुट और निष्पादित किए जाने वाले कार्य शामिल होंगे। आउटपुट और कार्य विशिष्ट, परिमेय, साध्य, परिणाम-आधारित और समयबद्ध होंगे। संदर्भ की शर्तों को संविदा का हिस्सा माना जाएगा।

7. युवा प्रोफेशनल की नौकरी की जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही:

जॉब की जिम्मेदारियाँ

क) ऊर्जा पारगमन के लिए नीति और नियामक विकास पर सक्रिय रूप से निगरानी रखना और उसमें शामिल होना।

ख) उद्योगों/एमएसएमई/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, ई-मोबिलिटी, लो कार्बन प्रौद्योगिकियों और डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों की गहन जानकारी।

ग) जलवायु परिवर्तन के पहलुओं जैसे जलवायु वित्त, जलवायु मॉडलिंग, जलवायु कार्य योजना, वायु गुणवत्ता और प्रदूषण, वन निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की दुरूस्त जानकारी।

घ) ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) तथा ऊर्जा क्षेत्र में अन्य तकनीकी नवाचारों की जानकारी।

ङ) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एएलएमएम, ग्रीन ओपन-एक्सेस, विद्युत नियम, राज्य आरई नीतियों आदि जैसे नीति और विनियामक विकासों की सक्रिय निगरानी करना और उनमें जुटना, जिनसे भारत में आरई की सोच प्रभावित होती है।

च) सक्षम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्यान्वयन सहायता प्रदान करके विभिन्न स्कीमों में ऊर्जा दक्षता, ई-मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में राज्यों और संबंधित राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करना।

छ) प्रमुख हितधारकों, विशेषकर डिस्कॉमों, मंत्रालयों/विभागों, विनियामकों, राज्य नोडल एजेंसियों, विकासकर्ताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों आदि के साथ विश्वास आधारित संबंध बनाना।

ज) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नई अनुसंधान परियोजनाओं, पद्धतियों और बाजार समाधानों की सोच बनाना और उसका क्रियान्वयन करना।

झ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अपेक्षित सक्षमताएं:

क) जलवायु परिवर्तन/नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान आयोजित करने और पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी कोलेट करने की क्षमता।

ख) परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न रिपोर्टों (साथ ही बहारी स्रोतों से) से तकनीकी इनपुट प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि परियोजना बाहरी हितधारकों के लाभ के लिए जानकारी बढ़ाई जा सके और केस स्टडी, वृत्तचित्र, ब्रोशर आदि जैसा सामग्री तक आउटरीच किया जा सके।

ग) प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, बैठकों आदि के समन्वय के लिए विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के गुण के साथ अच्छे पारस्परिक कौशल।

घ) विभिन्न परामर्शदात्री फर्मों से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और सारांश रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता।

ङ) अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा संचार कौशल (मौखिक और लिखित)।

च) मजबूत विश्लेषणात्मक और वैचारिक कौशल होना चाहिए।

छ) कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

8. भुगतान:

क) स्वतंत्र परामर्शदाताओं को नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य के आवधिक समापन के अधीन, माह पूरा होने के बाद 7 कार्य दिवसों के भीतर मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

ख) प्रचलित नियमों के अनुसार आयकर या कटौती योग्य कोई अन्य कर, भुगतान करने से पहले स्रोत पर ही काट लिया जाएगा, जिसके लिए विद्युत मंत्रालय टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करेगा। व्यक्तिगत परामर्शदाताओं को, लागू होने पर, वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करना होगा। विद्युत मंत्रालय इस संविदा के अंतर्गत किए गए भुगतान पर व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा देय करों या अन्य अंशदान के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है।

9. कार्य समय और अवकाश:

क) कार्य दिवसों के दौरान कार्य समय सामान्यतः प्रातः 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक होगा, जिसमें बीच में आधे घंटे का भोजनावकाश भी शामिल होगा। तथापि, कार्य की अनिवार्यता के कारण, स्वतंत्र परामर्शदाताओं को देर तक बैठना पड़ सकता है तथा उन्हें शनिवार/रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी बुलाया जा सकता है।

ख) स्वतंत्र परामर्शदाता एक वर्ष की अवधि के दौरान, नियंत्रण अधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से आनुपातिक आधार पर 08 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अप्रयुक्त अवकाश को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, नियंत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से बिना पारिश्रमिक के एक माह तक की छुट्टी पर विचार किया जा सकता है। तथापि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता जैसे असाधारण मामलों में, आधिकारिक आवश्यकताओं के अधीन, सचिव (विद्युत) के अनुमोदन से इस शर्त में रियायत दी जा सकती है।

ग) उपरोक्त के अलावा, महिला स्वतंत्र परामर्शदाता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एस-36017/03/2015-एसएस-I दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के अनुसार मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी।

10. संविदा की समाप्ति:

क) मंत्रालय द्वारा किसी भी समय 10 दिन का नोटिस देकर या उसके बदले में वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी तरह, स्वतंत्र परामर्शदाता भी समान अवधि का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है।

ख) मंत्रालय किसी भी स्तर पर किसी भी स्वतंत्र परामर्शदाता को सौंपे गए कार्य को करने में गंभीर विफलता या आचरण के किसी भी मानक का पालन करने में विफलता की स्थिति में बर्खास्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. हकदारी अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य मालिकाना अधिकार:

क) संविदा के तहत किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी उपकरण और आपूर्ति का स्वामित्व विद्युत मंत्रालय के पास रहेगा, तथा ऐसे किसी भी उपकरण को संविदा के समापन पर या स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा आवश्यकता न होने पर विद्युत मंत्रालय को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे उपकरण, जब विद्युत मंत्रालय को लौटाए जाएंगे, तो वे उसी स्थिति में होंगे, जैसी स्थिति में उन्हें स्वतंत्र परामर्शदाता को सौंपे जाने पर थे, हालांकि सामान्य टूट-फूट नगण्य है। फिर भी, स्वतंत्र परामर्शदाता उपकरण में किसी भी प्रकार की क्षति या गिरावट के

लिए विद्युत मंत्रालय को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो सामान्य टूट-फूट से परे हो।

ख) विद्युत मंत्रालय को सभी बौद्धिक संपदा और अन्य स्वामित्व अधिकारों का हकदार माना जाएगा, जिनमें उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, तकनीकी जानकारी या दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के संबंध में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं जिन्हें स्वतंत्र परामर्शदाता ने संविदा के तहत विद्युत मंत्रालय के लिए विकसित किया है और जो संविदा के निष्पादन के दौरान या उसके परिणामस्वरूप उत्पादित, तैयार या संग्रहित किए गए हैं, तथा स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्रियां विद्युत मंत्रालय के लिए किराए पर दिए जाने के लिए बनाए गए हैं। पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार, संविदा के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा संकलित या प्राप्त सभी मानचित्र, रेखाचित्र, फोटो, मोजेइक, योजनाएं, रिपोर्ट, अनुमान, सिफारिशें, दस्तावेज और अन्य सभी डेटा विद्युत मंत्रालय की संपत्ति होंगे, और उचित समय पर और उचित स्थानों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा उपयोग या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, और उन्हें गोपनीय माना जाएगा तथा संविदा के तहत काम पूरा होने पर केवल विद्युत मंत्रालय के अधिकृत अधिकारियों को ही सौंपा जाएगा।

12. अप्रत्याशित घटना और अन्य स्थितियाँ:

क) यहां प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना का अर्थ है प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अपरिहार्य कार्य, युद्ध का कोई भी कार्य (चाहे घोषित हो या न हो), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या इसी प्रकार की प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य, बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण से परे के कारणों से उत्पन्न हों और व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की गलती या लापरवाही के बिना हों।

ख) व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व के संबंध में जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता को उन क्षेत्रों में या उनके लिए पूरा करना होगा जिनमें विद्युत मंत्रालय कार्यरत है, किसी शांति स्थापना, मानवीय या इसी तरह के कार्यों में शामिल होने या उनसे अलग होने की तैयारी कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में कठोर परिस्थितियों से उत्पन्न या उनसे संबंधित ऐसे दायित्वों को पूरा करने में कोई देरी या विफलता या ऐसे क्षेत्रों में होने वाली नागरिक अशांति की किसी घटना को संविदा के तहत अपने आप में अप्रत्याशित घटना नहीं माना जाएगा।

13. लेखापरीक्षा और जांच:

क) विद्युत मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक इन्वाइस, विद्युत मंत्रालय के आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों या विद्युत मंत्रालय के अन्य प्राधिकृत और योग्य एजेंटों द्वारा संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 'भुगतान-पश्चात लेखा परीक्षा' के अधीन होगा और

संविदा की समाप्ति या पूर्व समाप्ति के बाद दो (2) वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय, संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाने के अलावा, ऐसे लेखा परीक्षा द्वारा दर्शाई गई किसी भी अन्य राशि के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता से धन वापसी का हकदार होगा।

ख) व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि समय-समय पर विद्युत मंत्रालय संविदा या उसके पुरस्कार के किसी भी पहलू, संविदा के तहत निष्पादित दायित्वों और संविदा के निष्पादन से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता के कार्यों से संबंधित जांच कर सकता है।

ग) जांच करने का विद्युत मंत्रालय का अधिकार तथा ऐसी जांच का अनुपालन करने का व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता का दायित्व, संविदा की समाप्ति या पूर्व समाप्ति पर समाप्त नहीं होगा।

घ) व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता को ऐसे किसी भी निरीक्षण, भुगतान-पश्चात लेखा-परीक्षण या जांच में पूर्ण एवं समय पर सहयोग प्रदान करना होगा। इस तरह के सहयोग में व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता का दायित्व शामिल होगा लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा कि वह अपने व्यक्तिगत और किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज को उचित समय पर और उचित शर्तों पर ऐसे प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराएगा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता के व्यक्तिगत और प्रासंगिक दस्तावेजों तक ऐसी पहुंच के संबंध में उचित समय पर और उचित शर्तों पर व्यक्तिगत स्वतंत्र परामर्शदाता के परिसर तक विद्युत मंत्रालय को पहुंच प्रदान करेगा।

14. विवादों का निपटारा:

विद्युत मंत्रालय और स्वतंत्र परामर्शदाता संविदा से अथवा संविदा के भंग किए जाने, समाप्त किए जाने अथवा अमान्य होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विवादों, झगड़ों अथवा दावों को शांतिपूर्ण रूप से निपटाने की भरपूर कोशिश करेंगे।

15. मध्यस्थता:

संविदा से अथवा उसके भंग होने, समाप्त होने या अमान्य होने से उत्पन्न किसी विवाद का यदि शांतिपूर्ण निपटान, जैसा कि ऊपर कहा गया है, नहीं होता है तो उसे विवाचन के लिए कोई भी पार्टी अपर सचिव (विद्युत) को भेज सकेगी। अपर सचिव (विद्युत) विवाद के निपटारे के लिए विवाचक नियुक्त कर सकता है।

16. हित टकराव:

स्वतंत्र परामर्शदाता से अपेक्षा है कि वह भारत सरकार के सभी लागू नियमों/विनियमों का अनुपालन करेगा। उससे अपेक्षा है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिकतम ईमानदारी, शासकीय गोपनीयता तथा निष्ठा बनाए रखेगा। यदि विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार के हितों को देखते हुए यदि किसी स्वतंत्र परामर्शदाता की सेवाएं असंतोषजनक अथवा अहितकर पाई जाती हैं तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

17. सामान्य नियम व शर्तें:

क) विद्युत मंत्रालय स्वतंत्र परामर्शदाता से विद्युत मंत्रालय के किसी की कार्यालय अथवा भवन में काम शुरू करने से पहले यह मांग कर सकता है कि वह अपने स्वस्थ होने को प्रमाणित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

ख) स्वतंत्र परामर्शदाता संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपयुक्त बीमा कराने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए पूर्णत: निजी तौर पर उत्तरदायी होगा। साथ ही, (परामर्शदाता) अपनी सेवाएं देने के दौरान की अवधि के लिए जीवन, स्वास्थ्य तथा ऐसी ही अन्य बीमा आवश्यकता हेतु परामर्शदाता अपने निजी खर्चे पर यथा आवश्यकता बीमा करवाएगा।

ग) स्वतंत्र परामर्शदाता की नियुक्ति से पूर्व उसकी शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना/दस्तावेज किसी भी स्तर पर नकली/गलत पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उसके विरूद्ध नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

घ) स्वतंत्र परामर्शदाता पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923, समय-समय पर यथा संशोधित, लागू होगा और मंत्रालय में बतौर युवा प्रोफेशनल अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान उसकी जानकारी में आई किसी भी सूचना/डेटा को वह किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को नहीं देगा। इस प्रकार की सारी सूचना/रिकॉर्ड/कागजात/सॉफ्टवेयर/ई-मेल आदि सरकार की संपत्ति होती है।

ङ) स्वतंत्र परामर्शदाता वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इस बात का विज्ञापन अथवा अन्यथा ऐसा नहीं करेगा कि उसके विद्युत मंत्रालय से संविदात्मक संबंध हैं। वह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी व्यापारिक अथवा अन्यथा ऐसे ही काम के लिए किसी भी प्रकार से भारत सरकार अथवा विद्युत मंत्रालय के नाम, संप्रतीक अथवा सरकारी मुहर अथवा विद्युत मंत्रालय के नाम की किसी संक्षिप्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

च) स्वतंत्र परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं/स्वयं से भारत सरकार के नियमों तथा विनियमों के अनुसार आचरण करेगा। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हुए उच्च दर्जे के नैतिक चरित्र, सत्यनिष्ठा, शासकीय गोपनीयता तथा कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा। विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार के हितों को देखते हुए यदि किसी स्वतंत्र परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक अथवा हितकर नहीं पाई जाती हैं तो उसकी सेवाएं बिना नोटिस अवधि अथवा क्षतिपूर्ति के समाप्त कर दी जाएंगी।

छ) सामान्य तौर पर स्वतंत्र परामर्शदाता संविदा के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में विद्युत मंत्रालय से बाहर के किसी प्राधिकारी से न तो अनुदेश प्राप्त करेगा, न ही दिए गए अनुदेश का पालन करेगा। स्वतंत्र परामर्शदाता संविदा के तहत निर्धारित अपने दायित्वों के संबंध में संविदा अथवा अन्यथा के निष्पादन के मद्देनजर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो विद्युत मंत्रालय के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो। स्वतंत्र परामर्शदाता आश्वासन देगा है कि वह संविदा के निष्पादन से होने वाले अथवा उससे संबंधित अथवा उसके अवार्ड किए जाने से संबंधित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभ को विद्युत मंत्रालय के किसी भी प्रतिनिधि, कार्मिक, कर्मचारी अथवा अन्य एजेंट को नहीं देगा। वह ऐसे सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों अथवा विनियमों का अनुपालन करेगा जो संविदा के तहत उसे दायित्वों के निष्पादन को पूरा करते हैं। संविदा के निष्पादन की दृष्टि से आचरण के सामान्य मानकों का अनुपालन करेगा। इस प्रकार का अनुपालन न किए जाने की स्थिति संबंधित परारामर्शदाता की सेवाएं समाप्त किए जाने का कारण बनती है।

ज) **यौन शोषण तथा कदाचार का निषेध:** संविदा का निपटान करते हुए स्वतंत्र परामर्शदाता 'कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013' का अनुपालन करेगा। स्वतंत्र परामर्शदाता यह स्वीकारोक्ति तथा सहमति देता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन संविदा की एक मूलभूत शर्तों का उल्लंघन होगा और इसके परिणाम स्वरूप ऐसा कृत्य पीड़ित व्यक्ति के निर्धारित कानूनी अधिकार तथा उपचार की पूर्ति के अतिरिक्त संविदा के समाप्त होने का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय का अधिकार यहीं तक सीमित नहीं हो जाता, वह आचरण के उपर्युक्त मानकों का उल्लंघन करने के मामले को उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण को निर्बाध रूप से भेज सकता है।

झ) विद्युत मंत्रालय में काम के दौरान मृत्यु, घायल या बीमार होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनावश स्वतंत्र परामर्शदाता अथवा उसका निकटतम संबंधी किसी क्षतिपूर्ति अथवा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

ञ) स्वतंत्र परामर्शदाता अपनी नियुक्ति से पहले अपने संबंधित पुलिस स्टेशन से प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और किसी प्राधिकृत चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सा-व-स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

ट) नियुक्ति की अवधि विद्युत मंत्रालय में कार्य ग्रहण की दिनांक से आरंभ होगी।

ठ) स्वतंत्र परामर्शदाता अपनी नियुक्ति की अवधि के लिए बाद में विद्युत मंत्रालय अथवा भारत सरकार के किसी अन्य विभाग में नियुक्ति/रोजगार के लिए कोई दावा या अधिकार प्रस्तुत नहीं करेगा।

ड) यदि सचिव (विद्युत) महोदय का मत है कि ऐसा किया जाना जरूरी अथवा कार्यसाधक है तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित करते हुए, किन्हीं भी प्रावधानों में रियायत दे सकते हैं।

18. जो युवा कार्मिक पहले से ही विद्युत मंत्रालय में काम कर रहे हैं और परिशोधित योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें नए उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन से चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार संलग्न प्रपत्र द्वारा अपना आवेदन भेज सकते हैं, उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां भी भेजें। आवेदन इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद बीस (20) दिन की अवधि के दौरान डाक/ई-मेल द्वारा अवर सचिव (ईसी, ईटी एवं ईवी प्रभाग) विद्युत को भेजे जाएं।

अवर सचिव, भारत सरकार
ईसी, ईटी एवं ईवी प्रभाग
विद्युत मंत्रालय
ई-मेल: ecdivision-mop@nic.in
दूरभाष: 23061311

विद्युत मंत्रालय में युवा प्रोफेशनल के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

1)	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2)	पिता का नाम
3)	ई-मेल
4)	मोबाइल नं.
5) (क)	जन्मतिथि (दिन-माह-वर्ष)
(ख)	उम्र (01.07.2024 के अनुसार)
6)	राष्ट्रीयता
7)	श्रेणी
8)	लिंग

9). पता

(क) वर्तमान पता :

पता लाइन 1
पता लाइन 2
शहर
राज्य
पिनकोड

(ख) स्थायी पता :

पता
पता
शहर
राज्य
पिनकोड

10). शैक्षिक योग्यता (निम्न से उच्चतर):

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड का नाम	विषय	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

11). संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव:

क्रम सं.	वर्तमान जॉब	नियोक्ता का नाम और पता (सरकारी/पीएसयू/मंत्रालय/विभाग /अन्य)	पदनाम (यह भी लिखें कि क्या यह स्थायी/अस्थायी/तदर्थ है)	सकल परिलब्धियां	सेवा अवधि	कार्य की प्रकृत्ति /विवरण

12). विज्ञापित रिक्ति के लिए आपकी उपयुक्तता स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट टिप्पणी:

13). भाषाएँ जिनमें आवेदक को प्रवीणता प्राप्त है:

अंग्रेजी	बेसिक	इंटरमीडिएट	एडवांस्ड
हिंदी	बेसिक	इंटरमीडिएट	एडवांस्ड
कोई अन्य भाषा	बेसिक	इंटरमीडिएट	एडवांस्ड

14). अपने कैरियर के लक्ष्यों का वर्णन करें और बताएं कि यह जॉब आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में कैसे मदद करेगी, इस जॉब के माध्यम से आप जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट रहें और हमें आपकी उम्मीदवारी पर विचार क्यों करना चाहिए? (अधिकतम 200 शब्द)

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिया गया संपूर्ण विवरण मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण गलत या छिपा लिया गया पाया जाता है तो चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ कि यह पद संविदा के आधार पर पूरी तरह से अस्थायी है और यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण गलत या छिपाए गए हैं तो मेरी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक: